न्यायालय उपायुक्त, पाकुड

इविक्शन अपील वाद सं0–02/2017–18

मजीद मोमीन
बनाम
गुलेनूर बीबी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता मजीद मोमीन, पिता–स्व0 बहारूल मोमीन, सा0–कुसुमतला, मोहनपुर, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–18/2003–04 में दिनांक 17.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद की उत्तरवादी गुलेनूर बीबी, पति–स्व0 इदरिस अंसारी, सा0–आसनढीपा, थाना–पाकुड, जिला–पाकुड के द्वारा निम्न न्यायालय में हिरणपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–मोहनपुर के जमाबन्दी सं0–54 के दाग सं0–822 रकवा 0–5–9 धूर, दाग सं0–823 रकवा 0–16–1 धूर, दाग सं0–858 रकवा 0–3–1 धूर, दाग सं0–959 रकवा 0–3–0 धूर, दाग सं0–860 रकवा 0–8–9 धूर दाग सं0–822/1657 रकवा 0–7–17 धूर एवं दाग सं0–858/1658 रकवा 0–2–8 धूर जमीन से मजीद मोमीन, पिता–स्व0 बहारूल मोमीन (इस वाद के अपीलार्थी) को उच्छेद करने हेतु SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर निम्न न्यायालय द्वारा उच्छेदी वाद सं0–18/2003–04 पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को सुना गया एवं दिनांक 17.01.2017 को पारित आदेश द्वारा मजीद मोमीन (इस वाद के अपीलार्थी) को दाग सं0– 823, 858,एवं 859 अन्तर्गत कुल रकवा 1–3–0 धूर जमीन से SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 के प्रावधानों के तहत उच्छेद किया गया। यह अपील वाद इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनका कहना है कि अंचल– हिरणपुर के मौजा–मोहनपुर के जमाबन्दी सं0–54 अन्तर्गत कुल सात दाग विगत सर्वे खतियान में 1. भीखू मोमीन, पिता–अनान मोमीन 2. गेदिया बेवा, पति–जफर मोमीन एवं 3. सफूरा बीबी, पुत्री कसमाली मोमीन के नाम से दर्ज है, जिसमें से दाग सं0– 823, 858,एवं 859 अन्तर्गत कुल रकवा 1–3–0 धूर जमीन खतियान में खतियानी रैयत भीखू मोमीन के दखल कब्जा में दर्शाया गया है। उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत का कोई पुत्र नहीं था एवं केवल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

चार पुत्रियां सखीना बीबी, सोनाभान बीबी मदीना बीबी एवं आमेना बीबी थी। जिनमें से सखीना बीबी एवं सोनाभान बीबी की मृत्यु नाबल्द हो गई थी। केवल पुत्रियां होने के कारण खतियानी रैयत भीखू मोमीन के द्वारा अपने दखल कब्जे की भूमि दाग सं0–823 858 एवं 859 अन्तर्गत रकवा 1–3–0 धूर भूमि अपने भतीजे (भाई के पुत्र) बहारूल मोमीन को मुस्लिम कानून के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था के तहत वर्ष 1950 में किसी समय दी गई थी तथा दूसरी भूमि अपनी पुत्रियों को दिया था।

उनका आगे कहना है कि बहारूल मोमीन द्वारा प्रश्नगत भूमि मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त करने के बाद ही उस पर अपना घर बना कर अपने परिवार सहित रहते हुए भोग–दखल करने लगे। अपीलकर्त्ता उक्त बहारूल मोमीन के पुत्र है एवं पिता की मृत्यु के बाद उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त कर शांतिपूर्वक भोग दखल किया जाता रहा है।

उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत के नाती तथा मदीना बीबी के पुत्र नबीलाल मियां के द्वारा वर्ष 1975 में एक ग्रामीण कागजात निष्पादित किया गया जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता के मालीकाना हक एवं दखल कब्जा को स्वीकार किया गया। उक्त कागजात में नबीलाल मियां द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत भीखू मोमीन द्वारा बहारूल मोमीन (अपीलकर्त्ता के पिता) को दी गई थी। उक्त नबीलाल मियां के पुत्र इदरिश मियां द्वारा उक्त तथ्य को बाद में वर्ष 1993 में एक शपथ पत्र निष्पादित करते हुए स्वीकार किया गया है।

उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता बहारूल मोमीन को पारिवारिक व्यवस्था (Family arrengement) के तहत दी गई थी एवं अपीलार्थी द्वारा अपने पिता से प्रश्नगत भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के वैध मालिक हैं। इस प्रकार यह मामला अवैध दखल का नहीं है अपितु यह शुद्ध रूप से उत्तराधिकार एवं स्वत्व का मामला है जिसका विचारण हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। अतः SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 इस मामले में लागू नहीं होगा।

उनका आगे कहना है कि 50 वर्षो से अधिक समय तक लगातार एवं अबाधित दखल कब्जा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा पुष्ट हो चुका है।

उनका आगे कहना है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के दिनांक 25.07.2016 के प्रतिवेदन को पूर्णतया नजरअंदाज किया गया तथा इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया कि प्रश्नगत भूमि का स्वरूप वर्षो पूर्व बसौड़ी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, यदि कोई सहित
1	2	3

मेंपरिवर्तित हो चुका है तथा अपीलार्थी का आवासीय मकान 50 वर्षों से अधिक समय से प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित है। अतः SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 इस मामले में लागू नहीं होता है।

उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है तथा वो बाहरी व्यक्ति है, उनका कोई locus standi नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी का मूल रूप में कहना है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में खतियानी रैयत भीखू मोमीन एवं अन्य के नाम से दर्ज है तथा भीखू मोमीन के दखल कब्जा में दर्शाया गया है। भीखू मोमीन की केवल तीन पुत्रियां अमीना बेवा, मदीना बेवा एवं जमीला बेवा थी तथा कोई पुत्र नहीं था। जमीला बेवा की मृत्यु निःसंतान हो गई एवं प्रश्नगत भूमि अमीना बेवा एवं मदीना बेवा को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, जिसका वो दखल भोग करती रही। मदीना बेवा को एक मात्र पुत्र नवीलाल अंसारी हुआ तथा नबीलाल अंसारी का एकमात्र पुत्र इदरिश अंसारी हुए। उत्तरवादी इसी इदरिश अंसारी की पत्नी है एवं प्रश्नगत भूमि की वैध उत्तराधिकारी है।

उनका आगे कहना है कि भीखू मिया की दूसरी पुत्री अमीना बीबी की मृत्यु हो गई है तथा उनके तीन पुत्र ऐनुल चिस्ती, जैनुल चिस्ती एवं मोईनुददीन चिस्ती है।

उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी का खतियानी रैयतों के साथ कोई संबंध नहीं है तथा वे बाहरी व्यक्ति है जिनके द्वारा अवैध तरीके से प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा किया गया है जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन है।

उत्तरवादी के द्वारा अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन में भी उत्तरवादी को प्रश्नगत भूमि का वैध उत्तराधिकारी बताया गया है एवं अपीलार्थी को बाहरी व्यक्ति बताया गया है।

उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी द्वारा एक भी ऐसा कागजात अथवा दस्तावेज न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे खतियानी रैयत के वंशज है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल शपथ पत्र एवं ग्रामीण कागजात संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

उभय पक्ष को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन एवं अध्ययन करने के उपरान्त किसी औचित्यपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है –

1. अपीलार्थी एवं उत्तरवादी का खतियानी रैयत भीखू मियां के साथ क्या संबंध है?
2. क्या प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी को मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के तहत पारिवारिक व्यवस्था के तहत प्राप्त हुई है?
3. अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर मकान क्या वर्ष 1950 से निर्मित है?
4. क्या संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 इस मामले में लागू नहीं हो सकता है?

बिन्दु–1 के सदर्भ में उत्तरवादी का दावा है कि वे प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत भीखू मोमीन की पुत्री अमीना बेवा के पुत्र नबीलाल अंसारी के एकमात्र पुत्र इदरिश अंसारी की पत्नी है। अपीलार्थी का कहना है कि उत्तरवादी मौजा–मोहनपुर में नहीं रहती है तथा खतियानी रैयत से उनका कोई संबंध नहीं है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने इस दावे के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उत्तरवादी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध है, में उत्तरवादी को खतियानी रैयत का वंशज बताया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा भी इस संदर्भ में उचित विवेचना के उपरान्त उत्तरवादी को खतियानी रैयत के वंशज इदरिश मोमीन की पत्नी अर्थात् वैध उत्तराधिकारी माना गया है।

दूसरी तरफ अपीलार्थी का यह स्वयं कहना है कि वे खतियानी रैयत भीखू मोमीन के भाई के पुत्र बहारूल मोमीन के पुत्र हैं। अर्थात् उनका स्वयं यह मानना है कि वे खतियानी रैयत भीखू मोमीन के direct line के उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा एक भी ऐसा कागजात अथवा दस्तावेज न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जो उनके इस दावे को प्रमाणित कर सके कि बहारूल मोमीन खतियानी रैयत भीखू मोमीन के भतीजे है।

स्पष्ट है कि अपीलार्थी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है जबकि उत्तरवादी खतियानी रैयत की वंशज है।

बिन्दु–2 के सदर्भ में अपीलार्थी का यह दावा है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत भीखू मोमीन को मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के तहत पारिवारिक व्यवस्था में दिया गया था एवं

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अपनी पुत्रियों को दूसरी भूमि दी गई थी। प्रथम तो यह कि अपीलार्थी यह सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहे है कि बहारूल मोमीन खतियानी रैयत भीखू मोमीन के भतीजे है। यदि यह मान भी लिया जाए कि बहारूल मोमीन खतियानी रैयत के भतीजे है तब भी अपीलार्थी यह बताने में पूरी तरह असफल रहे है कि खतियानी रैयत को कितनी भूमि थी एवं अपनी पुत्रियों को कहां–कहां की भूमि दी गई थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी को मुस्लिम उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी तो वर्ष 1975 के ग्रामीण कागजात एवं वर्ष 1993 के शपथ पत्र की क्या आवश्यकता थी? उक्त कागजातों द्वारा नबीलाल मियां एवं इदरिश मियां (खतियानी रैयत के वंशज) द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना हक छोड़ा गया है। प्रश्नगत भूमि अविक्रयशील है एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान ऐसे किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण पर पूर्णतः रोक लगाती है। अतः ग्रामीण कागजात एवं शपथ पत्र के माध्यम से स्वत्व का हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत अवैध है एवं कानून की नजर में इसकी कोई मान्यता नहीं है। स्पष्टतः अपीलार्थी द्वारा मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के तहत प्रश्नगत भूमि पर अपने दावे को सिद्ध नहीं किया जा सका है।

बिन्दु–3 के संदर्भ में निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक 92/रा0, दिनांक 12.02.2011 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का मकान होने का कोई उल्लेख नहीं है बल्कि यह प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी द्वारा भाग–बटाई में चास–आबाद अर्थात् खेती किया जा रहा था। पत्रांक 414/रा0, दिनांक 25.07.2016 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का आवास, पेड़ एवं पोखर स्थित होने का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर मकान वर्ष 2011 के बाद किसी समय बना है। अपीलार्थी द्वारा जिन दो कागजातों (वर्ष 1975 में नबीलाल मियां द्वारा निष्पादित एकरारनामा दस्तावेज एवं वर्ष 1993 में इदरिश मोमीन द्वारा निष्पादित शपथ पत्र) को प्रश्नगत भूमि पर दखल होने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का मकान निर्मित होने का कोई उल्लेख नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही विवेचना किया गया है।

बिन्दु–4 के संदर्भ में अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनों ही इस बात पर सहमत है कि प्रश्नगत भूमि अविक्रयशील/अहस्तान्तरणीय है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत से अपना संबंध प्रमाणित नहीं किया जा सका है और न ही यह प्रमाणित किया जा सका है कि उनके पिता को प्रश्नगत भूमि मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त हुई थी। अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

अधिकारी, हिरणपुर के जांच प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा है, जो उर्युक्त विवेचना के आधार पर अवैध दखल–कब्जा है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर वर्षो पूर्व मकान निर्मित होने के कारण भूमि का स्वरूप बदल गया है। परन्तु मकान निर्माण होने से भूमि का स्वरूप बदल सकता है इस संदर्भ में उनके द्वारा किसी अधिनियम अथवा माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्याय निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है, अतः निःसंदेह इस मामले में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 आकर्षित होती है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल 1975 के ग्रामीण कागजात एवं 1993 के शपथ पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का निर्विरोध दखल कभी नहीं रहा है।

उत्तरवादी के कथन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत भीखू मोमीन की तीन पुत्रियों में से दो पुत्रियों के वंशज वर्त्तमान में जीवित है। उत्तरवादी द्वारा ऐसा कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत भूमि का बंटवारा हुआ है एवं यह उनके हिस्से की भूमि है। स्पष्टतः प्रश्नगत भूमि पर अमीना बीबी एवं मदीना बीबी के सभी जीवित वैध उत्तराधिकारियों का दावा बनता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस आंशिक संशोधन के साथ बरकरार रखा जाता है कि प्रश्नगत भूमि से अपीलार्थी (निम्न न्यायालय में विपक्षी) को उच्छेद करने के उपरान्त उसका दखल कब्जा खतियानी रैयत भीखू मोमीन के सभी जीवित वैध उत्तराधिकारियों को दिला देंगे। अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेजें।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करायें।

अन्य प्रशासनिक व्यस्तता के कारण आज दिनांक 15.12.2021 को आदेश पारित किया गया है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
पाकुड़

उपायुक्त
पाकुड़

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.10.13 13:49:26 +05:30
Location: 192.168.1.101